न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 41/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा		श्री रेखाराम पुत्र श्री गोमदाराम ब्राह्मण, मैसर्स श्रीराम भोजनालय बालोतरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रमेश कुमार गौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.10.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 21.10.2019 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स श्रीराम भोजनालय बालोतरा के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री श्री रेखाराम उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में खाना बनाकर बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
[illegible]	005500–पी	आईओसीएल	27.400 [illegible]	15.700 किग्रा	11.700 किग्रा

मौके पर उक्त दुकान मे [illegible] सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये [illegible] उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सि[illegible]ण्डर को मैसर्स म[illegible]स एजेन्सी, बालोतरा को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से सम्यक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा वक्त सुनवाई प्रकट किया कि अप्रार्थी अपना घरेलू सिलेंडर भरवाकर गाड़ी पर अपने घर ले जा रहा था जिसे प्रार्थी द्वारा जब्त कर विचाराधीन कार्यवाही मनमाने तरीके से की गई है जिसे खारिज फरमाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विभागीय पैरोकार को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण नहीं करना परिवाद की स्वतः स्वीकृति प्रकट करता हैं। प्रार्थी द्वारा लोक सेवक की हैसियत से मौके पर रूबरू गवाहन कार्यवाही की गई है तथा फर्द मौका तैयार की गई है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:57 IST
Reason: Self Attested

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:48:57 IST
Reason: SelfAttested